

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 12ए/16

संस्थापन दिनांक:-30/09/15

फाईलिंग नं. 233504000112015

अरविंद पिता दिलीप उर्फ चरणदास
 उम्र 35 वर्ष, निवासी टण्डन कैम्प,
 वार्ड क्र. 15 आमला,
 तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

..... **वादी**

वि रू द्ध

आम जनता

..... **प्रतिवादी**

:- (निर्णय) :-

(आज दिनांक 31.08.2016 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा दिलीप उर्फ चरणदास की सिविल डेथ होने की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है।

2 दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अरविंद व उसके पिता दिलीप उर्फ चरणदास भीमनगर आमला के स्थायी निवासी हैं। दिनांक 18.05.2004 को शाम 4 बजे वादी के पिता अपने घर से निकले उसके पश्चात से आज दिनांक तक लापता है। दिनांक 18.05.2004 को ही वादी के रिश्तेदारों ने उसके पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट करायी। उस रिपोर्ट पर से अन्वेषण पश्चात थाना आमला द्वारा टिक्कन, धीरेंद्र, सुभाष के विरुद्ध उसके पिता दिलीप उर्फ चरणदास की हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चला जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मृतक की लाश प्राप्त न हो पाने के कारण उन्हें दोषमुक्त किया गया। दिनांक 18.05.2004 से वादी के पिता लापता हैं तथा आज दिनांक तक किसी भी परिचित या रिश्तेदारों द्वारा न तो देखा गया और न ही उनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई। वादी द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 195/04 के आधार पर ग्राम पंचायत कन्हड़ से अपने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहा गया था परंतु पंचायत में लाश प्राप्त न होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया। वादी की माता एयर फोर्स आमला में सेवारत थी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाहियों ग्रेज्युटी/बीमा हेतु फ्लाईंग आफिसर आमला के द्वारा वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया। अतः उपर्युक्त आवश्यकताओं के संदर्भ में दावा

वास्ते दिलीप उर्फ चरणदास की सिविल डेथ की घोषणा हेतु समयावधि में वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से प्रस्तुत किया गया है।

3 प्रकरण में आज जनता/प्रतिवादी पर सूचना निर्वहन संबंधित आवश्यक कार्यवाहियां किये जाने उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2016 को प्रतिवादी/आम जनता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

4 प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या दिलीप उर्फ चरणदास को पिछले 7 वर्षों से वादी ने अथवा उसके रिश्तेदारों व अन्य किसी ने दिलीप उर्फ चरणदास के जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना है ?

2. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी अरविंद (वा.सा.-1) ने अपने वाद पत्र तथा मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि दिनांक 18.05.2004 को उसके पिता शाम 4 बजे घर से निकले उसके पश्चात से लापता हैं। आज दिनांक तक उसके पिता किसी परिचित या रिश्तेदार को नजर नहीं आये। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके पिता दिलीप उर्फ चरणदास के गुमशुदा हो जाने की रिपोर्ट उसकी बुआ लीला के द्वारा की गयी। गुमशुदगी रिपोर्ट किये जाने पर थाना आमला द्वारा टिक्कम, धीरेंद्र, सुभाष के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया जिन्हें माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। वादी के पिता को लापता हुए लगभग 10 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है।

6 वादी अरविंद (वा.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह भी प्रकट किया है कि सत्र प्रकरण क्र. 195/04 के आधार पर उसने ग्राम पंचायत कन्हड़गांव से अपने पिता दिलीप उर्फ चरणदास का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा था परंतु पंचायत के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसे दिलीप उर्फ चरणदास की लाश प्राप्त न होने के आधार पर वापस ले लिया गया।

7 वादी अरविंद (वा.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए लीलाबाई (वा.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक

18.05.2004 को जब वह अपने भाई से मिलने उसके घर गयी परंतु उसका भाई घर पर नहीं मिला तब दिनांक 18.05.2004 को उसके द्वारा अपने भाई दिलीप उर्फ चरणदास की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख करवायी गयी। रिपोर्ट करने के बाद से उसके भाई किसी भी परिचित व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया। दिलीप (वा.सा.-3) ने भी समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वादी अरविंद उसकी पत्नी दीपमाला का भाई है। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसका विवाह दिलीप उर्फ चरणदास के लापता होने के एक वर्ष पश्चात हुआ था। वह विवाह के पूर्व से उन्हें जानता है तथा लगभग 12 वर्षों से उनका कोई पता नहीं है।

8 वादी अरविंद (वा.सा.-1) के द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपने गुमशुदा पिता की वोटर आईडी कार्ड (प्रदर्श प्री-1), थाने में की गयी गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2), उक्त रिपोर्ट पर से दिलीप की हत्या के संबंध में अपराध क्र. 226/04 पर दर्ज अंतिम प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) तथा वायुसेना आमला द्वारा प्रेषित सूचना पत्र (प्रदर्श प्री-3) प्रस्तुत किया गया है।

9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार जब प्रश्न यह हो कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन लोगों ने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से सुना होता, तब यह प्रमाणित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इस तथ्य को प्रतिज्ञात करता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामरती कौर विरुद्ध इरका प्रसाद ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1134 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तब विधि की यह उपधारणा निर्मित होगी की उक्त व्यक्ति मर गया है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित होता है कि दिनांक 18.05.2004 से दिलीप उर्फ चरणदास अपने घर लौटकर नहीं आया तथा उक्त के संबंध में वादी अरविंद की बुआ लीला (वा.सा.-2) के द्वारा थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

10 प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि दिलीप को दिनांक 18.05.2004 से आज दिनांक तक वादी के रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति या किसी अन्य द्वारा जीवित रहने के संबंध में कुछ नहीं सुना गया है। साथ ही प्रतिवादी क्र. 1 आम जानता के द्वारा भी कोई आपत्ति सूचना के उपरांत भी पेश नहीं की गयी है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 का निराकरण

11 उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उपरोक्त वर्णित विधि के आलोक में यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिलीप उर्फ चरणदास को पिछले सात वर्षों से वादी ने अथवा दिलीप उर्फ चरणदास के रिश्तेदारों व अन्य किसी ने दिलीप उर्फ चरणदास के जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना है। फलतः दावा स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1. यह घोषित किया जाता है कि दिलीप उर्फ चरणदास पिता श्यामलाल कटारे की सिविल डेथ हो गयी है।
2. प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी वाद का व्यय स्वयं वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल